

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : हरि मोहन मीना, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 73/2022

(Bank Case)

GCMS No. - 2022/ 67

आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड" 2nd फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर, राजस्थान में स्थित है। जरिये अधिकृत अधिकार श्री अक्षय खण्डेलवाल।

- प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. आदिनाथ डेन्टल क्लीनिक एण्ड जनरल ट्रीटमेन्ट सेन्टर

(ऋणी/बंधककर्ता)

पता- हाउस नं. 9-सी-29, महावीर नगर तृतीय, जिला कोटा राजस्थान
अन्य पता- अवानी रोझडी रोड, सरकारी डिस्पेन्शरी के सामने, नया गांव,
कोटा

2. श्री अनुपम जैन पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जैन

(सहऋणी)

3. राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री दीपचन्द

पता- हाउस नं. 9-सी-29, महावीर नगर तृतीय, जिला कोटा राजस्थान

4. अंजना जैन पत्नि राजेन्द्र कुमार जैन

पता- हाउस नं. 9-सी-29, महावीर नगर तृतीय, जिला कोटा राजस्थान
अन्य पता- अवानी रोझडी रोड, सरकारी डिस्पेन्शरी के सामने, नया गांव,
कोटा-324010

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री नरपत सिंह राजावत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 17.05.2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लिमिटेड" 2nd फ्लोर, मानउपासना प्लाजा, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, एच.एस.बी.सी. बैंक के सामने, जयपुर, राजस्थान में स्थित है, से अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से खाता संख्या 27879342 में दिनांक 31.12.2019 को 21,10,000/- (अक्षरे इक्कीस लाख दस हजार रुपये मात्र) व खाता संख्या 33508964 में दिनांक 26.08.2020 को 4,21,471/- (अक्षरे चार लाख इक्कीस हजार चार सौ इकत्तर रुपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 9-सी-29, महावीर नगर तृतीय, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 30.937 वर्ग मीटर है। जो जय्ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पट्टा विलेख से श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र दीप चन्द जैन के नाम है। जिसकी चर्तु सीमाए- पूर्व में - रोड, पश्चिम में- प्लॉट नं. 9-सी, उत्तर में- प्लॉट नं. 9-सी-28, दक्षिण में- प्लॉट नं. 9-सी-30, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान



नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 04.05.2021 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में 28,74,555.90/- (अक्षरे अट्ठाईस लाख, चोहत्तर हजार पाच सौ पचपन रुपये व नब्बे पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 28.06.2021 तक शेष देय है व दिनांक 29.06.2021 आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 30.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व अग्रेंजी अखबार एक्सप्रेस नेटवर्क में दिनांक 10.07.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 30.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व अग्रेंजी अखबार एक्सप्रेस नेटवर्क में दिनांक 10.07.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 30.06.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र राष्ट्रदूत व अग्रेंजी अखबार एक्सप्रेस नेटवर्क में दिनांक 10.07.2021 को प्रकाशन भी कराया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/बंधककर्ता की बंधक अचल सम्पत्ति प्लॉट नं. 9-सी-29, महावीर नगर तृतीय, जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 30.937 वर्ग मीटर है। जो जयें राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के पट्टा विलेख से श्री राजेन्द्र कुमार जैन पुत्र दीप चन्द जैन के नाम है। जिसकी चर्तु सीमाएं— पूर्व में — रोड, पश्चिम में— प्लॉट नं. 9-सी, उत्तर में— प्लॉट नं. 9-सी-28, दक्षिण में— प्लॉट नं. 9-सी-30, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 17-05-2022 को सुनाया गया।



(हरि मोहन मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)